

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेतारों, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बजट प्लान/11/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर-प्रथम/जयपुर-द्वितीय।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में निशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु संविदा पर कर्मचारी रखने हेतु बजट प्रत्याहरण (Withdraw)/ आवंटन (Allotment) के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्रांक 3798 दिनांक 30.09.11

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में वर्ष 2011-12 में मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु कर्मचारी रखने के लिये निम्न निर्देशों के अनुसार संविदा सेवा एवं कार्यालय व्यय में जयपुर-प्रथम को पांच सिटी डिस्पेंसरी (जामडोली/मालवीय नगर/दुर्गापुरा/मानसरोवर/झालाना डुंगरी फेज-III जयपुर) हेतु संदर्भित पत्र द्वारा आवंटित बजट में से कुल बजट राशि रु. 3,30,000/- (अक्षरे राशि रु. तीन लाख तीस हजार मात्र) का निम्नानुसार बजट प्रत्याहरण (Withdraw) कर जयपुर-द्वितीय को चार सिटी डिस्पेंसरी (मालवीय नगर/दुर्गापुरा/मानसरोवर/झालाना डुंगरी फेज-III जयपुर) हेतु पूर्व में आवंटित बजट राशि के अतिरिक्त कुल बजट राशि रु. 2,84,000/- (अक्षरे राशि रु. दो लाख चौसठ हजार मात्र) का बजट आवंटन (Allotment) निम्नानुसार किया जाता है :-

Budget Withdraw

S. No.	Name of CMHO's	2210-01-110-03-06 DAP (Plan)					05-OE
		41-Contract Service					
		No. of Pharmacist	Amount	No. of Helper	Amount	Total Addl. Allotment	
1	Jaipur-I	5	165000	5	138000	303000	27000
	Total	5	165000	5	138000	303000	27000

Budget Allotment

S. No.	Name of CMHO's	2210-01-110-03-06 DAP (Plan)					05-OE
		41-Contract Service					
		No. of Pharmacist	Amount	No. of Helper	Amount	Total Addl. Allotment	
1	Jaipur-II	4	132000	4	110400	242400	21600
	Total	4	132000	4	110400	242400	21600

इस बजट का उपयोग मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से फार्मासिस्ट एवं सहायक (Helper) को भुगतान करने हेतु प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन एवं इस निदेशालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के तहत किया जावेगा।

निर्देश :-

- राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एक पंजीकृत संस्था होने के कारण संविदा नियुक्तियों पर प्रतिबंध संबंधी परिपत्र दिनांक 17.06.2011 राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते हैं। अतः इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का शिथलन अपेक्षित नहीं है।
- जिन दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु किन्ही कारणों से सहकारी संस्थाएँ (CONFED) उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ दवा वितरण केन्द्र राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से संचालित करने पर वित्त विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है।
- संविदा पर मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से रखे गये संविदा कार्मिकों को नियमित रूप से नियुक्तियां होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक ही भुगतान देय होगा तत्पश्चात शेष रही राशि को समर्पित करना होगा।
- आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुनः आवंटन भी आईएफएमएस की मैपिंग अनुसार किया जा सकता है।
- उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे तथा बजट आवंटन से अधिक अवधि के लिये बिना अग्रिम स्वीकृति संविदा पर कार्मिकों को नहीं रखा जाना है।
- प्रत्येक सिटी डिस्पेंसरी हेतु 1 फार्मासिस्ट रु. 5500/- की दर से 6 माह के लिये इसी प्रकार प्रति सिटी डिस्पेंसरी 1 सहायक (Helper) रु. 4600/- की दर से 6 माह के लिये 41-संविदा सेवार्यों में राशि का प्रत्याहरण/आवंटन किया गया है। उक्त व्यवस्था मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करते हुये भुगतान भी मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा।
- प्रत्येक सिटी डिस्पेंसरी 1 फार्मासिस्ट हेतु रु. 900/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिये 05-कार्यालय व्यय में कार्यालय संचालन हेतु विविध व्यय के लिये राशि प्रत्याहरित/आवंटित की गई है। उक्त व्यवस्था मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करते हुये भुगतान भी मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा।
- उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
- इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यों
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 4828-32

दिनांक : 15.12.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/ (राजपत्रित), मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
5. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।